कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
E-mail :nodalofficerddn@gmail.com Phone/ Fax: 0135-2767611

संख्याः–2874 / 1जी– FP/UK/ROAD/23941/2017 देहरादूनः दिनांकः 30 अप्रैल, 2019

सेवा में,

सचिव,
वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4,
उत्तराखण्ड शासन।

विषयः– जनपद टिहरी के जौनपुर विकास खण्ड में रायपुर–कुमाल्डा–मोटर मार्ग के कि0मी0 35 से घेना गांव मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.0825 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण।

(Online proposal no- **FP/UK/ROAD/23941/2017**)

महोदय,

उपरोक्त विषयक परियोजना हेतु अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड़–02, नई टिहरी द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत 2.0825 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु वन भूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव ऑनलाईन प्रेषित किया गया है। प्रस्ताव पर राजस्व विभाग/प्रभागीय वनाधिकारी मसूरी वन प्रभाग, मसूरी एवं प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती एवं वन संरक्षक, यमुना वृत्त, देहरादून एवं वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, मुनिकीरेती द्वारा भी सहमति प्रदान की गयी है।

अतः प्रस्ताव के ऑनलाईन प्रपत्र भाग–**I** से भाग–**III** एवं अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी द्वारा भरे जाने वाले प्रपत्र भाग–**IV** पर संस्तुति कर संलग्न कर इस आशय से प्रेषित किये जा रहे हैं कि कृपया प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त करने हेतु भारत सरकार को प्रेषित करने का कष्ट करें।
संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,

(डी0जे0के0 शर्मा) 30/4/19
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

संख्या / 1जी– **FP/UK/ROAD/23941/2017** तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक भारत सरकार पर्यावरण, वन एंवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय, (उत्तर–मध्य क्षेत्र), 25 सुभाष रोड़, देहरादून को प्रस्ताव की मूल प्रति एवं पार्ट I से IV तक संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।
2. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
3. मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल, पौड़ी।
4. वन संरक्षक, यमुना वृत्त, देहरादून एवं वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, मुनिकीरेती।
5. जिलाधिकारी, जनपद–टिहरी गढ़वाल।
6. प्रभागीय वनाधिकारी मसूरी वन प्रभाग, मसूरी एवं प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती।
7. अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड़–02, नई टिहरी।

(डी0जे0के0 शर्मा)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

भाग–IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिये)

परियोजना का नामः– **जनपद टिहरी के जौनपुर विकास खण्ड में रायपुर–कुमाल्डा–मोटर मार्ग के कि0मी0 35 से घेना गांव मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.0825 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण।**
(Online proposal no- FP/UK/ROAD/23941/2017)

जनपद टिहरी के जौनपुर विकास खण्ड में रायपुर–कुमाल्डा–मोटर मार्ग के कि0मी0 35 से घेना गांव मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.0825 है0 वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण किया जाना प्रस्तावित है। उक्त परियोजना में 0.368 हे0 वन पंचायत भूमि, 1.6275 हे0 आरक्षित वन भूमि एवं **0.087** हे0 सिविल सोयम भूमि अर्थात कुल 2.0825 हे0 वन भूमि का हस्तान्तरण निहित है। प्रस्ताव पर राजस्व विभाग, जनपद–टिहरी/प्रभागीय वनाधिकारी मसूरी वन प्रभाग, मसूरी/प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती एवं वन संरक्षक, यमुना वृत्त, देहरादून/वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, मुनिकीरेती द्वारा भी प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गयी है। प्रस्ताव के अनुसार विषयगत परियोजना राष्ट्रीय पार्क/वन्यजीव अभ्यारण्य का हिस्सा नहीं है,

अतः प्रस्ताव पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त करने हेतु संस्तुति प्रदान की जाती है।

हस्ताक्षरः

नाम व पदनामः (डी0जे0के0 शर्मा भा.व.से.)
अपर प्रमुख वन संरक्षक, वन संरक्षण
एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड

सरकारी मोहरः A.P.C.C.F. & Nodal Officer
FC Land Survey Directorate
Dehra Dun.

तिथि 30 /04/2019
स्थान : देहरादून